संख्या– 1542/86–2020–153(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर 2020

विषयः साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना सं0–जी0एस0आर0 95(ई), दिनांक 03.02.2000 द्वारा बांधों, सड़कों, रेलमार्गों, भवनों आदि के निर्माण के लिए भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त ''सामान्य मिट्टी'' को उपखनिज घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम–3 के अन्तर्गत 02 मीटर की गहराई तक सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं माना गया है।

2. मिट्टी की उपलब्धता के सम्बन्ध में जन सामान्य की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना सं0–641/86–2018–153(सामान्य)/2017, दिनांक 27.03.2018) द्वारा साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी शून्य कर दी गयी है। इस प्रकार साधारण मिट्टी की रायल्टी शून्य होने के उपरान्त खनन की अनुमति दिये जाने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं होने के कारण जन–सामान्य के उत्पीड़न और मिट्टी के अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। अतः खनिज विकास हित में साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु खनन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने की व्यवस्था/प्रक्रिया को वर्तमान में संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है।

3. अतः वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साधारण मिट्टी के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त संगत आदेशों/निर्देशों को अवक्रमित करते हुए साधारण मिट्टी का 100 घन मी0 तक खनन/परिवहन मात्र आनलाइन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घन मी0 से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित् प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(क) साधारण मिट्टी 100 घन मी0 तक के खनन/परिवहन हेतु पोर्टल पर आनलाईन पंजीकरण की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1) विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर अधिकतम 100 घन मी0 साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु अनुमति के ब्लॉक पर Apply कर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु खनन योजना एवं खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) पंजीकरण हेतु नाम, पता, मोबाईल नं0, ईमेल आई0डी0 भरकर अपना लॉग–इन बनाया जायेगा।

(3) लॉग–इन करने के उपरान्त प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक का नाम, पता, मो0 नं0, ई–मेल आई0डी0, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की

Scanned with CamScanner

सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा–जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा सं0, कुल क्षेत्रफल, परिवहन किये जाने वाले वाहन का प्रकार व अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) बिन्दु सं0–03 में उल्लिखित जानकारियों को भरकर आवेदक द्वारा आवेदन Submit किया जाना होगा, जिसके पश्चात् आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जायेगा, इसके लिए पृथक से ई0–एम0एम0–11 की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो माह अथवा मात्रा की निकासी पूर्ण होने, जो भी पहले घटित हो, के लिए मान्य होगा।

(6) पंजीकरण प्रमाण पत्र में आवेदक का नाम व पता, खनन स्थल, वैधता अवधि अंकित होगी।

(7) आवेदक द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति, संवेदनशील क्षेत्रों से मानक के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा दूरी को छोड़कर खनन कार्य किये जाने सम्बन्धी स्व–घोषणा अपलोड की जायेगी।

(8) भूमि के स्वामित्व, भूमिधर की सहमति, सुरक्षा मानकों से सम्बन्धित स्व–घोषणा आदि गलत पाए जाने पर पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है, जिसकी सूचना आवेदक को ई–मेल/मोबाईल नं0 पर मैसेज के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

(ख) साधारण मिट्टी 100 घन मी0 से अधिक के खनन/परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में पोर्टल पर आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :–

(1)खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र–एम0एम0–8 में विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर समस्त संलग्नकों यथा आवेदक का नाम, पता, मो0 नं0, ई–मेल आई0डी0, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा–जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा सं0, कुल क्षेत्रफल व अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख सहित आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिलाधिकारी आवेदन पत्र की जांच के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धित सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। स्वीकृत आवेदन पत्र के क्रम में खनन अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन निर्गत किया जायेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 07 दिन के अन्दर उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। नियत अवधि में अनुज्ञा पत्र निर्गत न होने की दशा में स्वतः निर्गत समझा जायेगा।

(3)अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरान्त साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई–एम0एम0 11 जनरेशन की कार्यवाही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(4)खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि अधिकतम 06 माह होगी, जो स्वीकृत मात्रा एवं परिवहन के संसाधनों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(5)अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित साधारण मिट्टी की मात्रा के निकासी पूर्ण होने अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने, जो भी पहले घटित हो, के दिनांक से अनुज्ञा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Scanned with CamScanner

(6)मिट्टी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संकिया प्रतिबन्धित किये जाने अथवा किसी सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षात्मक दूरी निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा।

(7)स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त शर्ते लगायी जा सकती है।

4. पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किये जाने अथवा छूट के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त सन्दर्भित अधिसूचना दिनांक 27.03.2018 द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी शून्य कर दी गयी है।

6. उक्तानुसार यथास्थिति आनलाईन पंजीकरण या खनन अनुज्ञा पत्र के बिना साधारण मिट्टी का खनन, अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा और इस सम्बन्ध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा 21(1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव,

संख्याः (1)/86–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0–833/एम0–228/2017 (खनन नीति)(V) दिनांक 01.09.2020 के कम में इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त निर्देशों के कियान्वयन हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner